(e) if the Act has not been extended, how the settlement of the land was done under the aforesaid Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The Government of Manipur have informed that no such application is traceable in their records. The boundary of these two villages was clearly defined in the survey map of 1923-24 and in the present survey operation of 1962-63. The question of demarcation of village boundary therefore does not arise.

(b) to (e). Does not arise.

Development Works in Hill Areas of Manipur

5865. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the specific works of development taken up in the hill areas of Manipur since the development work was taken over by the Security Commissioner;

(b) the amount spent so far on the said development works;

(c) whether the attention has been paid to the supply of water and development of communications; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3159-70].

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद भरना

5866. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "उपर्युक्त अभ्यर्थी" शब्द की मनमानी परिभाषा के आधार पर सरकारी कार्यालयों में अधिकांश अधिकारी बुद्धिमान हरिजन अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके उनके लिए आरक्षित पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त अन्याय और कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो इसके क्या कारण है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । 1 फरवरी, 1968 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, भर्ती प्राधिकारी को अनुसूचित जातियों के उन उम्मीदवारों की जो योग्यता क्रम से नीचे स्थान प्राप्त करते हैं उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे को पूरा करने की सीमा तक, सिफारिश करनी होती है यदि ऐसे उम्मीदवार जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 335 में निर्धारित है, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सकें । इस सम्बन्ध में किन्हीं मनमानी शक्तियों के प्रयोग पर और अधिक प्रतिबन्ध यह व्यवस्था करके लगाए गए हैं कि बिना गृह मंत्रालय की पूर्वानुमति के अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित नहीं किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को पूर्ण विवरण वाला एक स्वतः पूर्ण पत्र भेजना पड़ता है । इस पत्र की एक प्रति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को भेजनी होती है । सभी तथ्यों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की टीका-टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है कि क्या किसी रिक्ति को अनारक्षित किया जाए । यदि रिक्तियों का अनारक्षण स्वीकार कर लिया जाता है तो आरक्षण समाप्त नहीं होता है बल्कि उसे परिवर्ती वर्ष के लिय आगे ले जाया जाता है ।

किसी अन्याय अथवा कदाचार से बचाव के लिए इन अनुदेशों में की गई व्यवस्था को पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

हज यात्रियों द्वारा डायना बन्दूकों को भारत लाया जाना

5867. श्री हुकमचन्द कछवाय :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री भारत सिंह चौहान :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हज यात्री भारी संख्या में डायना बन्दूक लायें हैं जिनके लिये कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में तथा इस वर्ष अब तक कितनी बन्दूकें लाई गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हज से वापस आते हुए कुछ यात्री डायना बन्दूक लाये हैं। ऐसी बन्दूकों के लिए जो शस्त्र अधिनियम के अधीन निर्धारित कुछ परीक्षणों की शर्तों को पूरा करती हैं किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) इन बन्दूकों के आयात के समूचे आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारी केवल ऐसी हवाई बन्दूकों के बारे में रिकार्ड रखते हैं, जिनके संबंध में पुलिस प्राधिकारियों को उनके छूट दी गई श्रेणियों में होने के बारे में कुछ सन्देह होता है और जो उनके द्वारा विस्तृत परीक्षा के लिए रोकी जाती है। पुलिस द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए 1969 और 1970 में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई डायना बन्दूकों की संख्या क्रमश: 1066 और 262 है।

Diplomats in Calcutta asked to keep indoors

5868. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Diplomats of foreign countries stationed in Calcutta have been instructed to keep indoors after dusk;

(b) whether the Embassy offices have sought any protection from Government also;

(c) how long the protective measures are likely to continue; and

(d) what is the Government's assesment of the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) and (c). In the context of the murderous attack on the French Consul General and his wife sometime back, discussions were held by the Chief Secretary, West Bengal Government with representatives of the Consular Corps, Calcutta and security arrangements were made for the Consular officers and their families. Protective measures are still being continued for some Consular offices on specific requests from them.

(d) The situation is being closely watched by State Government.

भारत-विरोधी प्रचार करने वाली भारत स्थित गैर-सरकारी संस्थाओं को विदेशी सहायता।

5869. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कार्य करने वाली कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं किसी न किसी रूप में अमरीका से सहायता प्राप्त कर रही है और यें संस्थाएं भारत विरोधी प्रचार करती हैं और अमरीका के हितों की रक्षा करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण है ?